

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-01-19/2026/

पटना/दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा के पत्रांक-2416 दिनांक-09.07.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती निबी रानी (जे0 11266), कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, उदेरास्थान को बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -9889 दिनांक-01.12.2015 में निहित प्रावधान के आलोक में उनके प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-19.08.2025 से दिनांक-13.02.2026 तक कुल 179 (एक सौ उन्नासी) दिनों की अवधि को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मनीष आनंद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा को उनके पत्रांक-2416 दिनांक-09.07.2026 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालंदा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, उदेरास्थान / श्रीमती निबी रानी (जे0 11266), कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, उदेरास्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 4704

पटना/दिनांक - 14/08/2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. Q. A. S. 11/08/26

अवर सचिव (प्रबंधन)।